

26 ⁴/₂₂

पीठासीन अधिकारी अवकाश/राजकार्य/चुनाव कार्य/स्थानान्तरन/दीन
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्ववत दिनांक.....को पेश हो

15/22
श्रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बाराँ

15 ⁶/₂₂

पत्रावली पेश हुई। वकील पहलकारान् उपरो।
वकील बादी द्वारा जवाब श्रां पत्र अ-रहित
धारा 11 CPC एवं 07 R11 (घ) CR 2 का
पेश किया जो शां का किया। उक्त वकील
उपस्थित को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते
वदम श्रां पत्र दिनांक 10-8-22 को पेश
हो।

01/01/22

पत्रावली पेश हुई। वकील बादी उपस्थित।
वकील प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते
वदम श्रां पत्र दिनांक 03/11/2022 का
पेश हो।

3 ¹¹/₂₂

पीठासीन अधिकारी अवकाश/राजकार्य/चुनाव कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्ववत दिनांक.....को पेश हो

21/22
श्रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बाराँ

21 ¹¹/₂₂

पत्रावली पेश हुई। वकील पहलकारान् उपरो।
पत्रावली वास्ते वदम श्रां पत्र दिनांक
19-12-2022 को पेश हो।

19/12/22

पत्रावली पेश हुई। एक एक कर तीन बार मावज
दिलाई गई। न तो वकील उपस्थित न ही पत्रावली
रही स्थिति में न्यायालय उक्त पत्रावली को जो
जेरकार रखना उचित नहीं समझता है। अतः
उक्त वाद को अग्र पेशी - अग्र धजरी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली जिसका श्रां पत्र दिनांक
से काट कर जावे। निर्णय आज दिनांक 19/12/22
को सारे जलाम सुनाया गया।